कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 204 / FP/UK/ROAD/16066/2015 :देहरादून:दिनांकः 19 जुलाई, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुये खाली–खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.385 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/16066/2015)

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/155/2016/एफ0सी0/1752 दिनांक 24-01-2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 385 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 4,23,500.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 2,52,945.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बढोत्तरी के वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकरण में कुल जमा की गयी धनराशि रू0 6,76,445.00 मात्र की ऑनलाईन Paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Strip Plantation का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मक डिस्पोजल का Component wise breakup Online Part-I para B 2.4 में भर दिया गया है।
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख मूल में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–4)**

अतः विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या– 204 / FP/UK/ROAD/16066/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक